हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/5/24 /पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन [illegible] दौरा पर/भ्रमण/स्थानान्तरण [illegible] अवकाश पर गये हुए है। पक्षकारान आगे समक्ष दिनांक. 10/6/24 को प्रस्तुत हों।	
10/6 /पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन [illegible] दौरा पर/भ्रमण/स्थानान्तरण [illegible] अवकाश पर गये हुए है। पक्षकारान आगे समक्ष दिनांक. 9/7 को प्रस्तुत हों।	
13.7.24 वकील प्रत्यर्थी के निवेदन पर प्रकरण में आज पेश हुये। वकील वादी ने निवेदन किया कि रन और लिखित जवाब [illegible] चाहते है इसलिये [illegible] लिखित बहस पर बहस सुनी जावे और वकील प्रत्यर्थी के निवेदन पर रायान वाद सूची की बहस सुनी गई, क्योंकि प्रकरण में राजीनामा की सूचना के प्रकरण आदेश/निर्णय हेतु दिनांक 26.7.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	
26/7/24 प्रकरण पेश। अनुपस्थित उत्तर वादी का वाद, पक्षों में राजीनामा के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	स्वीकार किया जाता है विस्तृत विवरण प्रपत्र में लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल किया गया। स्थाय [illegible] [illegible] तौर पर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] केवल [illegible] लेकर बाद [illegible] — दाखिल दफ्तर हो [signature] सहायक कलेक्टर (SDO), [illegible]

3. मौजा साटिका कलां के हाल खसरा नबंर 183 रकबा 25.16 बीघा में से 06.01 बीघा पूर्वी तरफ वादी प्रेमसिंह के बंट में रखा गया है। तथा इस खसरे में से बीच का भाग रकबा 09.17 बीघा प्रतिवादी संख्या 2 नारायणसिंह के बंट में रखा गया है। तथा इसी खसरे में से पश्चिमी तरफ 09.18 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 सांवतसिंह के बंट में रखा गया है तथा राजस्व रेकड में नारायणसिंह पुत्र अमानसिंह के स्थान पर नारायणसिंह उर्फ नरपतसिंह पुत्र अमानसिंह घोषित किया जावें।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दिक किया जाकर राजीनामे के अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर माफिक राजीनामा डिक्री जारी की जावें।

वकील वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में श्री हीरासिंह पुत्र गोविन्दसिंह, प्रेमसिंह पुत्र अमानसिंह, सावंतसिंह पुत्र अमानसिंह, नरपतसिंह उर्फ नारायणसिंह के बयान कलमबद्व करवाये। तथा नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 जो प्रदर्ष 01 है, राजीनामा प्रदर्श 2 है।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस समायत की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने निवेदन किया की हम पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा अनुसार ही वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इसीनुसार दावा डिक्री फरमाई जावे ।

पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने अपने वाद के समर्थन में मौजा साटिकाकलां की जमाबन्दी नकल संवत् 2068 से 2071 जो प्रदर्श 1 है के रिकार्डिड खातेदार है रिकार्डिड खातेदार को अपनी आराजी का बंटवाड़ा करवाने का अधिकार है इसमें कानुनी बाधा नहीं है।

पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड एवं साक्ष्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पक्षकारान उक्त विवादग्रस्त आराजी के रिकोर्डेड खातेदार है और रिकोर्डेड खातेदार को अपनी आराजी का बंटवाड़े कराने का हक व अधिकार निहीत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाता है । तथा स्टाम्प डयूटी प्रस्तुत होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय

अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा अनुसार वाद अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा इस आशय का डिक्री पर्चा स्टाम्प डयूटी पेश के पश्चात जारी हो। और तहसीलदार खींवसर को इसकी पालना हेतु लिखा जावे।

1. मौजा साटिका कलां के हाल खसरा नबंर 178 रकबा 02.19 बीघा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सयुंक्त बंट एवं सयुंक्त कब्जा काश्त में रखा गया है।
2. मौजा साटिका कलां के हाल खसरा नबंर 195 रकबा 03.16 बीघा वादी प्रेमसिंह बंट एवं कब्जा काश्त में रखा गया है।
3. मौजा साटिका कलां के हाल खसरा नबंर 183 रकबा 25.16 बीघा में से 06.01 बीघा पूर्वी तरफ वादी प्रेमसिंह के बंट में रखा गया है। तथा इस खसरे में से बीच का भाग रकबा 09.17 बीघा प्रतिवादी संख्या 2 नारायणसिंह के बंट में रखा गया है। तथा इसी खसरे में से पश्चिमी तरफ 09.18 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 सांवतसिंह के बंट में रखा गया है तथा राजस्व रेकड में नारायणसिंह पुत्र अमानसिंह के स्थान पर नारायणसिंह उर्फ नरपतसिंह पुत्र अमानसिंह किया जाता है।

पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

राजकेश मीना RAS
सहायक कलक्टर
खींवसर

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

यह निर्णय आज दिनांक को सरेइजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर